# न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2900 /विधि सहरसा, दिनांक 29-9-2023

प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा सदर को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0-384/2014 में दिनांक-27.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय भूमि विवाद वाद सं0-280/2011 से संबंधित अभिलेख कुल-266 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- सुरेश राम, पिता-स्व0 जागेश्वर राम व मसो0 मंजू देवी, पति-स्व0 इन्द्रानन्द राम व कलानन्द राम / उमेश राम, पिता-स्व0 बालेश्वर राम व राजकुमार राम, पिता-स्व0 भागवत राम, सभी सा0-महिषी, थाना-महिषी, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९ )

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३ |
|---|---|---|

27/09/2023

# न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

## भूमि विवाद अपीलवाद संख्याः-384/2014

## चानो देवी एवं अन्य.....अपीलकर्त्ता

## -बनाम-

## उमेश राम एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

## -:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद सुरेश राम, पिता-स्व0 जागेश्वर राम व मसो0 मंजू देवी, पति-स्व0 इन्द्रानन्द राम व कलानन्द राम, पिता-स्व0 जागेश्वर राम, सभी सा0+थाना-महिषी, जिला-सहरसा के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा दायर भूमि विवाद वाद सं0-280/2011 में दिनांक 05.09.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें उमेश राम, पिता-स्व0 बालेश्वर राम व राजकुमार राम, पिता-स्व0 भागवत राम दोनों सा0+थाना-महिषी, जिला-सहरसा को पक्षकार बनाया गया है। वाद की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी सं0-01 सुरेश राम की मृत्यु के संबंध में सूचित किये जाने तथा प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी पत्नी मसो0 चानो देवी तथ पुत्र बाबू कुमार राम को अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

| मौजा/थाना नं0 | तौजी नं0 | खाता नं0 | खेसरा नं0 (पु0) | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|---|
| महिषी/105 | 3572 | 2786(नया) 1071(पु0) | 9093(नया) 1713(पु0) | 0-0-11 (धूर) | उत्तर-निज<br>दक्षिण-बिन्देश्वरी राम<br>पूरब-निज<br>पश्चिम-विलास राम वगैरह |

अपीलार्थीगण का मूलरूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा सदर में भूमि विवाद वाद सं0-280/2011 दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई

Gam.

के पश्चात दिनांक 09.12.2011 को बिना साक्ष्य सबूतों के वास्तविक अवलोकन किये विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा आयुक्त न्यायालय में अपीलवाद संख्या-01/2012 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 06.01.2012 को पारित आदेश के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा भूमि विवाद वाद सं0-280/2011 में पुनः सुनवाई आरम्भ करते हुए अंचल अधिकारी, महिषी से मापी प्रतिवेदन तथा बासगीत पर्चा का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 05.09.2014 को अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि वे बी0पी0एल0धारी अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उनका जिस भूमि पर मकान चापाकल आदि अवस्थित हैं, वह खेसरा पुराना खेसरा 1713 से बने नया खेसरा 9093 रकवा 07 डी0 पर बना है। नया खेसरा 9093, नया खाता-2786 रकवा-07 डी0 हाल सर्वे खतियान में नाम से महेश्वर खाँ वगैरह गलत रूप से इन्द्राज हो गया जबकि अपीलार्थी पूर्व में मालिक जमीन्दार द्वारा बन्दोवस्ती से प्राप्त भूमि पर वर्षो से दखलकार चले आ रहे थे। उक्त नाजायज हाल सर्वे इन्द्राज के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अन्दर धारा-106 बी0टी0 एक्ट के तहत वाद सं0-38882/87 राजस्व पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया तथा उनके नाम से हाल सर्वे खतियान में तरमीम भी हो चुका है। अपीलकर्त्ता जमाबन्दी सं0-5039 के तहत उक्त भूमि का मालगुजारी रसीद भी हासिल करते आ रहे हैं। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी, महिषी के द्वारा अमीन नापी प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं नजरी नक्शा के साथ जाँच प्रतिवेदन उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सहरसा के न्यायालय में समर्पित किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता तथा प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष का दखल दर्शाया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त जाँच प्रतिवेदन तथा प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष का दावा विरोधाभासी है। अपीलार्थी के द्वारा प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के प्रश्नगत भूमि को बासगीत पर्चा से हासिल करने के दावा के संबंध में उक्त बासगीत पर्चा को संदिग्ध बताया गया है। उनके अनुसार इस संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा निम्न न्यायालय में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए बताया गया कि वर्ष 2002-03 में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा पर्चाधारी के द्वारा छायाप्रति पर्चा दिखलाने पर पुराना खेसरा 7713 का जमाबंदी दर्ज किया गया तथा हल्का के कागजात में पर्चा वाद सं0-81/1964-65 अंकित पाया गया किन्तु वर्ष 2002-03 तक कोई रसीद उक्त पर्चा के आधार पर निर्गत

नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त पर्चा पर चौहद्दी अंकित नहीं है। प्रतिपक्षी दोनों पक्ष सरकारी सेवक है तथा उनके कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर पर्चा निर्गत के समय उनकी उम्र क्रमशः 07 तथा 06 वर्ष थी। उनका कहना है कि नाबालिग को पर्चा निर्गत नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का कहना है कि नया खेसरा 9093, नया खाता नं0-2786, रकवा-07 डी0 जमीन में उनका इन्दिरा आवास से निर्मित्त घर आदि है तथा प्रतिपक्षीगण को उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा नया खेसरा सं0-9093 के 07 डी0 में केवल 12 धुर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को विखंडित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-01 एवं 02 की ओर से दाखिल जवाब में उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि उन्हें बासगीत पर्चा से हासिल है। बासगीत पर्चा एवं दखल कब्जा के आधार पर जमाबंदी सं0-210 के आधार पर लगान अदा करने के बाद मालगुजारी रसीद भी प्राप्त हो रहा है। उनका कहना है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा-04 उपधारा-01 के अन्तर्गत पर्चाधारी की एराजी को नाजायज रूप से बेदखल करने पर निम्न न्यायालय के द्वारा पर्चाधारी को संरक्षित करने हेतु नियमन दिया गया। विपक्षीगण बासगीत पर्चा केस नं0-81/64-65 से निर्गत पर्चा के आधार पर वर्ष 1964-65 से दखलकार चले आ रहे हैं। जमीन मालिक महेश्वर झा का नाम पर्चा पर अंकित है। हाल सर्वे खतियान भी महेश्वर झा के नाम से खुला है, जिसमें रकवा-07 डी0 अंकित है। नापी के अनुसार 11-12 धूर जमीन का ही नक्शा बना है तथा उक्त भूमि पर पर्चाधारी विपक्षी दखलकार हैं। उनकी भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा बी0टी0एक्ट दफा-106 के तहत वाद सं0-38882/87 बन्दोवस्त न्यायालय में खाता-2786 खेसरा-9093 रकवा-07 डी0 में से 04 डी0 के लिए दायर किया गया, जबकि आदेश के अनुसार तरमीम 07 डी0 की करवायी गयी। नक्शा से नापी में उक्त भूमि 11-12 धूर ही होता है। इसी नाजायज बन्दोवस्ती के आधार पर वे विपक्षीगण को बेदखल करने लगे, जिसके विरूद्ध विपक्षीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में वाद सं0-280/2011 अपीलार्थी के विरूद्ध दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.12.2011 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा आयुक्त न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें दिनांक 06.01.2012 को पारित आदेश के द्वारा नापी करने के उपरान्त उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित करने का निदेश दिया

गया। तदालोक में निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा दिनांक 05.09.2014 को पारित आदेश सही तथा नियमानुसार है। विपक्षी का यह भी कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा C.W.J.C No. 1091/2013 में दिनांक 24.06.2014 को आदेश पारित करते हुए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत पर्चाधारी/बन्दोवस्तधारी को संरक्षण प्रदान करने अथवा बेदखल किये जाने पर दखल कब्जा दिलाने का नियमन दिया गया है। प्रश्नगत भूमि विपक्षी प्रथम पक्ष को बन्दोवस्ती पर्चा से प्राप्त है, जिसका पूर्व से दखल कब्जा के आधार पर मालगुजारी रसीद भी प्राप्त होता रहा है। अपीलार्थीगण के द्वारा नाजायज ढंग से बी0टी0एक्ट के आदेश के आधार पर वर्ष 2013-14 में जमाबंदी कायम करवाकर रसीद प्राप्त किया गया, जबकि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से ही विवाद लंबित था। उक्त के आलोक में विपक्षीगण के द्वारा इस अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण को बासगीत पर्चा से प्राप्त है तथा उक्त पर्चा एवं दखल कब्जा के आधार पर उनके नाम से जमाबदी कायम की गई है। अंचल अमीन के द्वारा भी उक्त भूमि पर विपक्षीगण का दखल कब्जा होना प्रतिवेदित है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर सहरसा का आदेश सही है तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपीलवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

27/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

27/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।